



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05012026-269104
CG-MH-E-05012026-269104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2026/पौष 12, 1947

No. 03]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2026/PAUSHA 12, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 2 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 03(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, संलग्न अनुसूची में दिए गए संक्षिप्त विवरण वाली भूमि, विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् "पुल संख्या 100 (13 x 30.50 मीटर स्पैन ओपन वेब गर्डर) और पुल (RUB/LHS) संख्या 99 (1 x 12.20 मीटर PSC स्लैब)" के निर्माण के लिए आवश्यक है पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अहमदाबाद डिवीजन के पाटन-भिल्डी बीजी खंड पर परिवर्तित संरेखण पर नए प्रमुख पुल संख्या 100 के निर्माण से संबंधित कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक विविध कार्यों सहित, पिचिंग, टो वॉल, फ्लोर प्रोटेक्शन, अर्थवर्क इन फॉर्मेशन, ब्लैकेटिंग, ट्रॉली रिफ्यूज, ब्रॉड गेज लाइन विछाना और जोड़ना, ट्रैक टैपिंग, एलडब्ल्यूआर का डीस्ट्रेसिंग, पी.वे सामग्री का परिवहन, स्टोन बैलास्ट की आपूर्ति और स्टैकिंग और अन्य विविध कार्य, गुजरात राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए एक विशेष रेलवे परियोजना के तहत, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के तहत उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपर्युक्त प्रयोजन के लिए इसके उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी-डीसा, जिला बनासकांठा को लिखित में दी जाएगी और उसमें आपत्ति के कारण बताए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं या किसी कानूनी सलाहकार के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उपधारा (II) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-मानचित्र और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में इनका निरीक्षण कर सकते हैं।

अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में स्थित विशेष रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, जिसमें संरचना सहित या बिना संरचना के, पुल संख्या 100 (13 * 30.5 मीटर स्पैन ओपन वेब गर्डर) और पुल संख्या 99 (1 * 12.20 मीटर स्पैन पीएससी स्लैब) शामिल हैं, साथ ही विविध कार्य भी।

जिले का नाम: बनासकांठा,

क्रम संख्या	जिला	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का उपयोग	क्षेत्रफल (स्क्वियर मिटर)
1	बनासकांठा,	कांकरेज	उम्बरी	111	निजी भूमि	कृषि	960
2	बनासकांठा,	कांकरेज	उम्बरी	112	निजी भूमि	कृषि	1320
3	बनासकांठा,	कांकरेज	उम्बरी	114	निजी भूमि	कृषि	720
4	बनासकांठा,	कांकरेज	उम्बरी	115	निजी भूमि	कृषि	840
5	बनासकांठा,	कांकरेज	उम्बरी	96	निजी भूमि	कृषि	60
6	बनासकांठा,	कांकरेज	उम्बरी	97	निजी भूमि	कृषि	360
7	बनासकांठा,	कांकरेज	उम्बरी	98	निजी भूमि	कृषि	120
8	बनासकांठा,	कांकरेज	उम्बरी	113	सरकारी जमीन	गैर कृषि	1440
9	बनासकांठा,	कांकरेज	उम्बरी	116	सरकारी जमीन	गैर कृषि	750
10	बनासकांठा,	कांकरेज	कम्बोई	58	सरकारी जमीन	गैर कृषि	4600

[फा. सं E. -629836-05]

एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक-II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

Mumbai, the 2nd January, 2026

NOTIFICATION

G.S.R. 03(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, “Construction of Bridge No. 100 (13 x 30.50m Span Open Web Girder) and Bridge (RUB/LHS) No. 99 (1 x 12.20M PSC Slab) including misc. works like pitching, toe wall, floor protection, Earthwork in formation, blanketing, trolley refuges, laying and linking of Broad Gauge line, tamping off track, destressing of LWRs, transportation of P. way material, supply and Stacking of stone ballast and other misc. works required for successful completion of work in connection with construction of new Major Bridge No. 100 on diverted alignment on Patan-Bhildi BG section of Ahmedabad Division on Western as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Gujarat hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for aforesaid purpose under

sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer-Deesa, District Banaskantha, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
Bridge No. 100 (13 *30.5m Span open web Girder) and bridge No., (RUB/LHS) No.99
1 *12.20m Span PSC slab) including misc work in District Banaskantha in the State of Gujarat.**

Name of District: Banaskantha

Sr. No.	District	Taluka	Village	Survey No.	Land Type	Land Use	Area to be acquired (Sq.Mts)
1	Banaskantha	Kankrej	Umbari	111	Private land	Agriculture	960
2	Banaskantha	Kankrej	Umbari	112	Private land	Agriculture	1320
3	Banaskantha	Kankrej	Umbari	114	Private land	Agriculture	720
4	Banaskantha	Kankrej	Umbari	115	Private land	Agriculture	840
5	Banaskantha	Kankrej	Umbari	96	Private land	Agriculture	60
6	Banaskantha	Kankrej	Umbari	97	Private land	Agriculture	360
7	Banaskantha	Kankrej	Umbari	98	Private land	Agriculture	120
8	Banaskantha	Kankrej	Umbari	113	Govt land	Non agricultur	1440
9	Banaskantha	Kankrej	Umbari	116	Govt land	Non agricultur	750
10	Banaskantha	Kankrej	Kamboi	58	Govt land	Non agricultur	4600

[F. No. E. -629836-05]

S.R PRASAD, Chief Project Manager– II